दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण
DEENDAYAL PORT AUTHORITY

दूरभाष/Ph. : 02836-220167
फैक्स / Fax : 02836-233172
ईमेल/e-mail : secretary@deendayalport.gov.in
वेबसाइट / Website: https://deendayalport.gov.in

सामान्य प्रशासन विभाग / General Administration Deptt.
प्रशासनिक कार्यालय भवन/ Administration Office Building,
बॉक्स संख्या 50 / Post Box No.50,
गांधीधाम(कच्छ)/Gandhidham (Kachchh),
गुजरात / Gujarat - 370205

सं. : जीए/पीएस/3539/ 2843 दिनांक : 24-06-2026

कार्यालय आदेश

श्री नेन्सीभाई एच. प्रजापति, समयपाल, समुद्री विभाग, को प्रधान समयपाल के पद पर 41800-117600(पूर्व संशोधित रु. 29600-81100) के वेतनमान में, तत्काल प्रभाव से, नियमित आधार पर, पदोन्नत किया जाता है तथा उन्हें यातायात विभाग में तैनात किया जाता है।

2. उनका वेतन लागू सामान्य नियमों के तहत, मंत्रालय के पत्र सं.:सी-13019/33/2020-पीई-।। दिनांक 01 जुलाई 2022 के माध्यम से प्राप्त तत्संबंधी निर्देश, यदि लागू हो, के अधीन तय किया जाएगा।
3. वे दीनदयाल पोर्ट ट्रस्ट कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता तथा पदोन्नति) विनियम, 2009, के अधीन रहेंगे।
4. उनकी सेवा संबंधी अन्य शर्तें, लागू सुसंगत नियमों तथा आदेशों द्वारा शासित होंगी।
5. उन्हें मूल नियमावली 22(1)(क) (1) में तथा उपबंधित वेतन के नियतन से संबंधित अपना विकल्प इस आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर देना होगा। अगर एमएसीपी स्कीम के अंतर्गत उन्हें वेतन नियतन का लाभ मिल चुका है तो उस परिस्थिति में यह शर्त लागू नहीं होगी।
6. आदेश प्राप्त होने पर सात (7) दिनों के अंदर उन्हें कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा उनकी पदोन्नति रद्द मानी जाएगी और एक वर्ष की अवधि तक इस पद पर पदोन्नति हेतु उन पर न तो विचार किया जाएगा और ना ही वे आगे अगली पदोन्नति स्वीकार करने तक किसी भी प्रकार की एमएसीपी के हकदार होंगे।
7. उपरोक्त पदोन्नति को स्वीकार न करने पर तथा लिखित में उपयुक्त कारण न देने पर इस कार्यालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 26.12.2011 के परिपत्र सं : जीए/पीएस/9332(पार्ट)/329 और दिनांक 19.5.2014 के परिपत्र सं.:जीए/पीएस/9350/946 के तहत प्रशासनिक प्रक्रिया (1) से (5) के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
8. श्री मुलुभा वी. गढवी, समयपाल, यातायात विभाग को का.आ.सं. जीए/पीएस/3539/2777 दि. 10.06.2026 द्वारा, प्रधान समयपाल, के पद पर पदोन्नत कर यातायात विभाग में तैनात किया गया था। तथापि उनके द्वारा दिनांक 15.06.2026 के पत्र के माध्यम पदोन्नति स्वीकार करने के संबंध में प्रस्तुत अनिच्छा के कारण उक्त आदेश एतद्वारा रद्द किया जाता है।

(प्राधिकार : ई-फाईल सं.2037 में टिप्पणी सं.26 पर दिनांक 22.06.2026 को सचिव महोदय के अनुमोदन से)

वरिष्ठ उप सचिव
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रति:

श्री नेन्सीभाई एच. प्रजापति, का.सं.1170, समयपाल, समुद्री विभाग - (उप संरक्षक के माध्यम से)

प्रतिलिपि :

1) उप संरक्षक/ यातायात प्रबंधक - यह सुनिश्चित किया जाए कि श्री मुलुभा वी. गढ़वी, समयपाल की पदोन्नति अस्वीकार करने सम्बन्धी प्रविष्टि उक्त कर्मचारी की सेवापुस्तिका में की जाए जिससे एमएसीपी (MACP) योजना के लाभ / पात्रता से संबंधित किसी भी विवाद से बचा जा सके साथ ही उपर्युक्त आदेश सूचना तथा कार्यमुक्त करने एवं ड्यूटी रिपोर्ट भेजने आदि से संबंधित आवश्यक करवाई हेतु |
2) लेखा अधिकारी (देय), गांधीधाम/ आवासीय लेखापरीक्षा अधिकारी - सूचनार्थ
3) सहायक निदेशक(ईडीपी) - डीपीए की वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु
4) सा.प्र.विभाग - संबंधित लिपिक/डीपीसी फाईल/मास्टर फाईल/एचसीएम प्रकोष्ठ
5) अध्यक्ष के व.नि.स./उपाध्यक्ष के निजी सचिव/मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सहायक